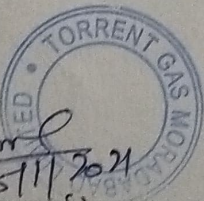
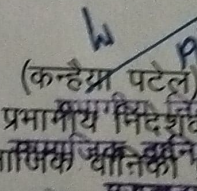


प्रतिपूरक वनीकरण करने संबंधी वचनबद्धता

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०, द्वारा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (एस०एच-43) के कि०मी० चैनल 4.420 से 5.820 तक बॉयी पटरी पर गैस पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०, मुरादाबाद द्वारा सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायेगा।


(सतीश चन्द्र वर्मा,
सहायक महाप्रबन्धक,
टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०,
मुरादाबाद।


(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।